न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय रोसड़ा (समस्तीपुर)

A.B.P. No. - 225-C/2026.

C.I.S. No.- 225 /2026.

Date of order.	Order with Signature of Court.	Action taken.
10.06.2026	1. आवेदक अभियुक्तों **प्रेमशीला देवी और फूचो यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव** की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जो लड़झाघाट थाना कांड संख्या–21/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 118(2), 117(1), 303(2), 109(1), 352, 351(2), 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है। 2. सूचिका श्यामला देवी के लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन का सार यह है कि दि0. 05.04.2026 को समय 07:30 बजे भैंस के द्वारा मक्का का फसल चराने के आरोप में आवेदक अभियुक्त छोटू यादव एवं अन्य सह–अभियुक्तगण सूचिका के घर पर आये और गाली–गलौज करते हुए सूचिका के पति कैलाश यादव के साथ मारपीट करने लगे। आवेदक अभियुक्त छोटू यादव अपने हाथ में लिए हथियारनुमा सामान से सूचिका के पति का सिर फाड़ दिया जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचिका जब अपने पति को बचाने गयी तो छोटू यादव उसके साथ भी मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। अभियुक्तगण के द्वारा सूचिका के पुत्र के साथ भी मारपीट किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से बीच–बचाव किया गया। 3. आवेदक अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत की याचना की गयी एवं यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में आवेदकों की ओर से न तो अग्रिम जमानत आवेदन और न ही नियमित जमानत आवेदन किसी भी वरीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, न ही लंबित है। आवेदकगण निर्दोष हैं एवं इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकों के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप झूठे एवं बनावटी है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि उभय पक्षों के बीच फसल क्षतिग्रस्त करने के आरोप के कारण मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसके पश्चात उभय पक्षों के द्वारा संबंधित थाना में एक–दूसरे के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। आवेदकों का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा हैं। अतः आवेदकों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाय। 4. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदकों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन का विरोध किया गया। 5. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तों के विरूद्ध सूचिका एवं उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया गया है। कांड–दैनिकी की कंडिका–42 के अनुसार आवेदक अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कांड–दैनिकी के साथ सूचिका और उसके पति का जख्म प्रतिवेदन संलग्न है। सूचिका के जख्म प्रतिवेदन को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उसके दोनों जांघ में सूजन और बाएं कोहनी पर जख्म पाया गया है। सूचिका के पति के जख्म प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि उसके सिर पर दो जख्म पाए गये हैं। इसके अतिरिक्त उसकी बायीं हथेली पर एक जख्म एवं पीठ पर सूजन पाया गया है। आवेदकों के विरूद्ध	**लगातार**

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय रोसड़ा (समस्तीपुर)

A.B.P. No. - 225-C/2026.

C.I.S. No.- 225 /2026.

10.06.2026	मारपीट या कोई अन्य घटना कारित किये जाने का कोई विशिष्ट और सीधा आरोप नहीं लगाया गया है। प्राथमिकी को देखने से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आवेदकों की द्वारा घटना के दौरान कोई प्रकट कृत्य किया गया। आवेदकगण के विरूद्ध घटना में सक्रिय रूप से शामिल रहने का कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। आवेदकों के कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक अभियुक्तों **प्रेमशीला देवी और फूचो यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव** के द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार, इस आदेश के विचारण न्यायालय में प्राप्त होने की तिथि से 4 सप्ताह के अंदर आवेदकों द्वारा आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार होने की स्थिति में विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर मो0 10,000/(दस हजार) रु0 के समान राशि के दो जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल किए जाने पर भा0ना0सु0सं0 की धारा–482(2) के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। दोनों जमानतदार आवेदकों के निकटतम संबंधी होंगे। **लेखापित** **(राजीव कुमार मिश्र)** **अपर सत्र न्यायाधीश–II,** **रोसड़ा।**	